फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कालुचंद बनाम उत्तमचंद वगैरह

किस्म अपील .225 आर.टी.एक्ट

राजस्व अपील संख्या 52 सन.....2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.07.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021 बउनवान उतमचंद आदि बनाम उकचंद वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 14 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 15,16,17,18 एवं 19 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के अपीलांटगण रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत आदेश 39 नियम 03 सी.पी.सी की पालना करने हेतु आदेश प्ररोक्ष रूप से अवश्य दिया गया है। किन्तु उक्त आदेश की पालना आदिनांक तक किया जाना प्रकट नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभाजन हो चुका है एवं पारिवारिक विभाजन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबध मे पालना करवाने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांटगण अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उघलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 14 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 15,16,17,18 एवं 19 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश दिनांक 19.08.2021 पारित कर वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने का प्रावधान है। इस संबध मे आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होते है। अत उक्त नियम के आधार पर सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021 बउनवान उतमचंद आदि बनाम उक्चंद वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद एवं मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक लंबित है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल हक–हकूको का निस्तारण मूल वाद एवं प्रार्थना के अन्तर्गत अंतिम निस्तारण के पश्चात निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थिति मे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार सहायक कलक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधि मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021 बउनवान उतमचंद आदि बनाम उकचंद वगैरह के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली